ऑन लाईन नं. RCMS 2021/1‥2

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 20/2022

1. श्रीमती पूजा भारती पत्नी श्री संदीप कुमार जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 40, रविदासनगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. मुकेश भण्डार अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विभागीय प्रतिनिधि।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश — दिनांक : 19.09.2022

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील गीगो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्थान सरकार उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के कमांक 105819 दिनांक 09.11.2016 विज्ञप्ति संख्या 03/2020 के कम में प्रार्थीया ने वार्ड नम्बर 40 श्रीगंगानगर के आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया था। प्रार्थीया के साथ ही अन्य अभ्यर्थियां श्रीमती मीनू रानी पत्नी श्री वेदप्रकाश वार्ड नम्बर 40, श्रीगंगानगर ने भी आवेदन किया था, श्रीमती मीनू रानी के पास पंजाब का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण–पत्र था जो उसने आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया था जबकि प्रार्थीया के पास राजस्थान राज्य का अनुभव प्रमाण–पत्र सलंग्न आवेदन पत्र था। विभागीय परिपत्र में पंजाब के अनुभव प्रगाण–पत्र का अंक दिए जाने हेतु स्पष्ट अंकन नहीं होने के कारण उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर ने पत्र कमांक 393 दिनांक 09.06.2021 एवं 3302 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा निदेशालय महिला बाल विकास जयपुर से उक्त के सन्द्वर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया था। मार्गदर्शन का प्रतिउत्तर जयपुर के पत्र कमांक 72730–63 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि राज्य से बाहर/अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी केन्द्रो पर मानदेय कार्मिक के रूप में किए गए कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी मानेदय कार्मिकों की चयन प्रकिया अनुभव के अंक नहीं दिये जाने है केवल राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय कर्मी के रूप में किए गए कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर ही अंक दिए जाने है। जयपुर के मागदर्शनानुसार प्रार्थीया के अनुभव प्रमाण–पत्र पर अंक निर्देश प्राप्त हो चुके है जिससे प्रार्थीया का चयन की हकदार है। प्रार्थीया को आदेश कमांक 1153 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 का आदेश का स्पष्टीकरण दिया गया कि इस वार्ड से सम्बन्धित चयन प्रकिया निरस्त कर दी गई । विभाग के दिशा निर्देश निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐं जयपुर दिनांक 10.05.2022 को प्राप्त हुए है, उसमें प्रार्थीया का दोष नहीं है। प्रार्थीया गरीब परिवार की है आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता पद पर अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर हकदार है। अतः आदेश कमांक 1153 दिनांक 22.06.2022 को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किए जाने की कृपा करे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास, श्रीगंगानगर ने अपना जबाब पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि :–

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 के यह तथ्य स्वीकार है कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं जयपुर के आदेश कमांक 105819 दिनांक 09.11.2016 की पालना में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 03/2020 के द्वारा परियोजना श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नम्बर 40 में कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गये थे।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 के तथ्यों का सम्बन्ध रिकॉर्ड से है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 के तथ्यों का सम्बन्ध रिकॉर्ड से है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–4 के यह तथ्य स्वीकार है कि प्राप्त प्रति उत्तर निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान जयपुर के पत्रांक 72730–63 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि राज्य से बाहर/अन्य राज्यों में आ.बा.केन्द्रों पर मानदेय कार्मिक के रूप में किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान राज्य में आ.बा. मानदेय कार्मियों कि चयन प्रक्रिया में अनुभव के अंक नहीं दिये जाने है, केवल राजस्थान राज्य में आंगनबाडी केन्द्रों पर मानदेय कर्मी के रूप में किये गये कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर ही अंक दिये जाने है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–5 के यह तथ्य अस्वीकार है क्योंकि निदेशालय से भिजवाया गये मार्गदर्शन से पूर्व ही निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आदेश कमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था की "वर्ष 2021 व इससे पूर्ण मानदेय कार्मिको के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिनमें ग्राम सभा/ गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है। उक्त प्रकरण में श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश कमांक 09.09.2021 को अतिकमण किया जाना सम्भव नहीं है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–6 के यह तथ्य स्वीकार है चूंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस कार्यालय में अपील कर चयन किये जाने हेतु निवेदन किया था जिसमें इस कार्यालय द्वारा निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश कमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 अतिकमण किया जाना इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः प्रार्थीया का चयन किया जाना सम्भव नहीं था जिस हेतु प्रार्थीया को सूचित किये जाने पर लिखित जवाब लेने से इनकार करने पर प्रार्थी को जवाब डाक द्वारा भिजवा दिया गया था।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–7 के यह तथ्यों का सम्बन्ध स्वयं प्रार्थीया से है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–8 के यह तथ्यों का सम्बन्ध स्वयं प्रार्थीया से है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–9 के यह तथ्य स्वीकार है , इससे विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि राजस्थान सरकार उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के कमांक 105819 दिनांक 09.11.2016 विज्ञप्ति संख्या 03/2020 के कम में प्रार्थीया ने वार्ड नम्बर 40 श्रीगंगानग्रर में कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु पत्रांक 9089 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गये थे। अपीलांटा द्वारा वार्ड नम्बर 40ए में दिनांक 15.01.2021 को कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया गया था। अपीलांटा आंगनबाड़ी केन्द्र 45-ई पर आशा सहयोगिनी (मानदेयकर्मी) के पद पर दिनांक 11.01.2018 से कार्यरत है। अपीलांटा के साथ ही अन्य प्रार्थीया श्रीमती मीनू पत्नी श्री वेदप्रकाश सिसोदिया द्वारा वार्ड नम्बर 40 में कार्यकर्ता के पद पर आवेदन किया था। मीनू रानी के पास अबोहर (पंजाब) का कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र था। विभागीय नियमानुसार अन्य राज्य पंजाब का अनुभव प्रमाण पत्र अंक देय नहीं है। विभागीय पत्र कमांक 393 दिनांक 09.06.2021 एवं 3302 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा जयपुर निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे गये है। पत्रांक 72730-63 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि राज्य से बाहर अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी केन्द्रो पर मानदेय कार्मिक के रूप में किये कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र में अंक देय नहीं है। केवल राजस्थान राज्य में किये गये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक दिये जाने है ऐसा स्पष्ट दिशा निर्देश है। विभागीय पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांटा चयन की हकदार है। मार्गदर्शन विभाग जो प्राप्त हुआ है उसमें अपीलांटा नियमानुसार विभाग में कार्यरत अनुभव के आधार पर अंक प्राप्ति की हकदार है। दिनांक 22.06.2022 को उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर पत्र द्वारा अपीलांटा को सूचित किया गया कि मार्गदर्शन विभाग से देरी से प्राप्त हुआ है, जिस कारण अपीलांटा का चयन नहीं किया जा सकता। अपीलांटा का इसमें कोई दोश नहीं है, विभागीय देरी और मार्गदर्शन की देरी का कारण बताकर अपीलांआ का चयन न करना अपीलांटा के साथ अन्याय है। पत्रावली में पेश सबूतों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांआ चयन हेतु योग्य थी तथा पात्रता में भी आती थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह अपीलांटा का चयन करती अथवा यह आदेश पारित करती कि अपीलांटा ही चयनता की पात्रता में आती है। लिहाजा लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलांआ का चयन करने का आदेश फरमाया जावें अथवा यह आदेश दिया जावें कि अपीलांआ ही वार्ड नम्बर 40 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पात्रता में आती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं जयपुर के आदेश कमांक 105819 दिनांक 09.11.2016 की पालना में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 03/2020 के द्वारा परियोजना श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नम्बर 40 में कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गये थे। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान जयपुर के पत्रांक 72730-63 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि राज्य से बाहर/अन्य राज्यों में आ.बा.केन्द्रों पर मानदेय कार्मिक के रूप में किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान राज्य में आ.बा. मानदेय कार्मियों कि चयन प्रकिया में अनुभव के अंक नहीं दिये जाने है, केवल राजस्थान राज्य में आंगनबाडी केन्द्रों पर मानदेय कर्मी के रूप में किये गये कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अंक दिये जाने है। निदेशालय से भिजवाया गये मार्गदर्शन से पूर्व ही निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आदेश कमांक 120330-62 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था की "वर्ष 2021 व इससे पूर्ण मानदेय कार्मिको के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिनमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है। उक्त प्रकरण में श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश कमांक 09.09.2021 को अतिक्रमण किया जाना सम्भव नहीं है। निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

आदेश क्रमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 अतिक्रमण किया जाना इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः प्रार्थीया का चयन किया जाना सम्भव नहीं था जिस हेतु प्रार्थीया को पत्र क्रमांक 936 दिनांक 28.01.2022 द्वारा सूचित किये जाने पर लिखित जवाब लेने से इनकार करने पर प्रार्थी को जवाब डाक द्वारा भिजवा दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज फरगाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि विभागीय पत्र क्रमांक 393 दिनांक 09.06.2021 एवं 3302 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा जयपुर निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे गये है। पत्रांक 72730–63 दिनांक 10.05.2022 के द्वारा निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि राज्य से बाहर अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी केन्द्रो पर मानदेय कार्मिक के रूप में किये कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र में अंक देय नहीं है। केवल राजस्थान राज्य में किये गये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक दिये जाने है ऐसा स्पष्ट दिशा निर्देश है। विभागीय पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांटा चयन की हकदार है। मार्गदर्शन विभाग जो प्राप्त हुआ है उसमें अपीलांटा नियमानुसार विभाग में कार्यरत अनुभव के आधार पर अंक प्राप्ति की हकदार है। निदेशालय से भिजवाया गये मार्गदर्शन से पूर्व ही निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आदेश क्रमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा निर्देशित किया गया था की "वर्ष 2021 व इससे पूर्व मानदेय कार्मिको के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु जिला स्तर से जारी की गई विज्ञप्ति से सम्बन्धित पदो जिनमें ग्राम सभा/गठित समिति स्तर पर चयन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 की पालना में प्रार्थीया पत्र क्रमांक 936 दिनांक 28.01.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका था। निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 के अनुसार अपीलार्थीया का चयन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थिया की अपील विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 120330–62 दिनांक 09.09.2021 के दृष्टिगत रिमाण्ड की जाकर सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपीलकर्ता के प्रकरण को नवीन विज्ञप्ति जारी होने पर उच्च वरीयता पर लिया जाकर प्राथमिकता प्रदान की जावें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner